सेवा में

श्रीमान तहसीलदार महोदय

टोंक

विषय:- राजस्व रिकार्ड में नवीन चाह दर्ज करवाने बाबत्।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थीगण . . . . . ने मेरी/हमारी खातेदारी की भूमि पटवार मंडल. . . . . के ग्राम . . . . . के खसरा नंबर . . . . . कुल रकबा . . . . . हेक्टेयर में एक नवीन चाह बनाया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस नवीन चाह को राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी एवं नक्शा सीट में दर्ज करने की कृपा करें।

संलग्न:- जमाबंदी व नक्शा सीट दो प्रतियों में

ह. प्रार्थीगण

<u>कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टोंक</u>

क्रमांक:- दिनांक:-

मूल ही भूअभिलेख निरीक्षक. . . . . व पटवारी हल्का . . . . . को भेजकर लेख है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति से जांच कर प्रार्थी की खातेरदारी में नवीन चाह हो तो मौके पर नाप कर ग्राम की नक्शा सीट में चाह प्रस्तावित कर दो प्रतियों नक्शा ट्रेस तैयार कर रिपोर्ट सात दिवस में पेश करें।

तहसीलदार (भू.अ.) टोंक

<u>रिपोर्ट पटवारी हल्का. . . . . .</u>

श्रीमान तहसीलदार महोदय

. . . . . .

विषयः- राजस्व रिकार्ड में नवीन चाह दर्ज करवाने बाबत्।

महोदय

निवेदन है कि खातेदारगणों ने ग्राम. . . . . प.म. . . . . के ख. नं. . . . . कुल रकबा . . . . . है. में संलग्न नक्शानुसार नवनिर्मित चाह लगभग . . . . . फीट गहरा खोद रखा है। कुंआ का आहता . . . . . हैक्टेयर में फैला हुआ है।

अतः नया कुंआं खसरा सं. . . . . रकबा . . . . . है. में स्थित है। तथा शेष भूमि ख. न. . . . . रकबा . . . . . है. राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान करें।

पटवारी हल्का . . . . .

संलग्नः-

01. जमाबंदी नकल
02. चाह प्रस्तावित कर नक्शा ट्रेस

<u>जांच भू.अ.नि . . . . . .</u>

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी नकल जमाबन्दी व ट्रेस नाया कुआं दर्ज किया जाना उचित है।

भू.अ.नि. . . . . .

<u>कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) टोंक</u>

क्रमांक:- दिनांक:-

श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय

. . . . . .

विषय:- राजस्व रिकार्ड में नवीन चाह दर्ज करवाने बाबत्।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थीगण . . . . . जाति. . . . . निवासी . . . . . एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवार मंडल. . . . . के ग्राम . . . . . के खसरा नंबर . . . . . कुल रकबा . . . . . हेक्टेयर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि है, जिसमें प्रार्थीयान् ने एक नवीन चाह का निर्माण किया है, परंतु अधिकार अभिलेख में इस नवनिर्मित चाह के खसरा नंबर दर्ज नहीं हुए हैं अतः उक्त आराजी में निर्मित कराए गए चाह का नंबर अधिकार अभिलेख में दर्ज करवाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट हेतु पटवारी हल्का को भेजा गया। पटवारी हल्का ने वस्तु स्थिति की रिपोर्ट बाद जांच भू-अभिलेख निरीक्षक को प्रतिवेदन भिजवाते हुए बताया कि प्रार्थी ने उनके खाते की कृषि भूमि ग्राम. . . . . प.म. . . . . के ख. नं. . . . . कुल रकबा . . . . . है. में संलग्न नक्शानुसार नवनिर्मित चाह लगभग . . . . . फीट गहरा होकर आहता . . . . . हैक्टेयर है। इसकी पुष्टि में पटवारी हल्का ने प्रार्थी के खाते, खसरे एवं नक्शे की नकले संलग्न की है।

अत: खसरा नंबर 466 रकबा 2 हेक्टेयर में एक नया चाहे नलकूप का निर्माण कर रखा है नवनिर्मित नलकूप 60 फीट गहरा होकर आता एक हेक्टेयर रकबा है इसकी पुष्टि में पटवारी हल्का ने प्रार्थी के खाते खसरे एवं नक्शे के नकली संलग्न की है अतः कि प्रार्थीगण . . . . . जाति. . . . . निवासी . . . . . द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख.न. . . . . रकबा . . . . . हेक्टेयर वाकै ग्राम . . . . . में से चाह निर्माण के लिए उपयोग में ली गई भूमि रकबा . . . . . है. को अधिकार अभीलेख में नवीन चाह नम्बर के रूप में दर्ज किये जाने की अनुशंषा सहित प्रकरण श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

संलग्न:- मूलपत्रादि किता

तहसीलदार (भू.अ.) टोंक

कार्यालय उपखंड अधिकारी टोंक

क्रमांक:- दिनांक:-

नवीन चाहे दर्ज कराने का आदेश

प्रार्थी . . . . . निवासी . . . . . तहसील टोंक जिला टोंक ने तहसीलदार टोंक को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम . . . . . तहसील टोंक में आराजी खसरा नंबर . . . . . रकबा . . . . . हेक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी के अधिकार की भूमि है। जिसमें प्रार्थी ने एक नवीन चाह का निर्माण किया है परंतु अधिकार अभिलेख में इस नवनिर्मित चाह के ख.न. दर्ज नहीं हुए हैं अतः उक्त आराजी में निर्मित कराए गए चाह का नंबर अधिकार अभिलेख में दर्ज कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार टोंक द्वारा मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट हेतु पटवारी हल्का को भेजा गया पटवारी हल्का ने वस्तुस्थिति की रिपोर्ट बाद जांच भू-अभिलेख निरीक्षक प्रतिवेदन भिजवाते हुए बताया कि प्रार्थी ने उनके खाते की कृषि भूमि ख. नं. . . . . .रकबा . . . . . हेक्टेयर में एक नवीन चाह का निर्माण कर रखा है। नवनिर्मित चाह लगभग . . . . . फीट गहरा होकर आहता रकबा . . . . . हेक्टेयर है। और इसकी पुष्टि में पटवारी हल्का ने प्रार्थी के खाते, खसरे एवं नक्शे की नकलें संलग्न की है। उक्तानुसार खातेदार ने अपने आराजी में नवीन रूप में चाह का निर्माण कर भु-सुधार का कार्य किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 66-67 के अंतर्गत कृषि कार्यों की श्रेणी में आता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 67-67 के अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60(च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थी. . . . . .निवासी . . . . . तहसील टोंक जिला टोंक द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर . . . . . रकबा . . . . . है0 वाकै ग्राम . . . . . में से चाह निर्माण के लिए उपयोग में ली गई भूमि रकबा . . . . . है0 को अधिकार अभिलेख में नवीन खसरा नम्बर के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी टोंक

क्रमांक:- दिनांक:-

प्रतिलिति:-

01. तहसीलदार टोंक को प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जाकर पालना से अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी टोंक